

वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत।

धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत धमतरी—अंजोरा, अंजोरा—नगरी, दोमपदर—मानपुर, काडादाह—माडमसिल्ली एवं गोबरानवापारा—पाण्डुका के मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 165.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ—वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 3.456 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 0.153 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.177 हेक्टेयर कुल 3.786 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में वन्यप्राणी परियोजना आवश्यक नहीं होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।



(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)